समाहरणालय, मधेपुरा

(राजस्व शाखा)

-: वेतार संवाद :-

को :- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला (अंचल अधिकारी, मधेपुरा को छोड़कर)

दुहरावें :- उप समाहर्त्ता, भमि सुधार , उदाकिशुनगंज/अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।

भेजनेवाला :- समाहर्त्ता, मधेपुरा ।

संख्या ....590-2......रा0./दिनांक 19-10-13.......... (.) प्रथम एवं द्वितीय चरण में सर्वेक्षित अवशेष वासरहित महादलित परिवारों को 3 (तीन)-3 (तीन) डी0 जमीन का पर्चा लगान रसीद के साथ वितरण हेतु अनुमंडल मुख्यालय में दिनांक 28.10.2013 को कैम्प लगाने का निदेश दिनांक 09.10.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय राजस्व समन्वय समिति की बैठक में आप सभों को दिया जा चुका है (.) लौटती वेतार संवाद से सूचित करें कि निर्धारित तिथि को क्रय नीति के अन्तर्गत आप कितने वासभूमि विहीन महादलित परिवारों को लाभान्वित करेंगे तथा वासगीत पर्चा अथवा गैरमजरूआ खास सरकारी जमीन का पर्चा देकर ऐसे कितने परिवारों को लाभान्वित करेंगे (.) क्रय नीति के अन्तर्गत चयनित भूखंडों का पूर्ण विवरण यथा- मौजा, थाना नंबर, खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी, जमाबंदी रैयत भूधारी का नाम/ पता अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को भेजें (.) स्पष्ट प्रतिवेदन भी दें कि क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि विवाद रहित है (.) अधोहस्ताक्षरी से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 24.10.2013 तक भूमि वजरिये निबंधित केवाला क्रय करना भी सुनिश्चित करें (.) यदि सर्वेक्षित सूची के कुछ महादलित परिवारों को अपनी वासभूमि उपलब्ध हो गई हो अथवा वे अन्यत्र चले गये हों तो उनकी एक अलग सूची भी विलोपन हेतु अविलंब भेजें (.) 28.10.2013 के अनुमंडल स्तरीय शिविर में शत् प्रतिशत अवशेष सूयोग्य लाभूकों को 3-3 डी0 वासभूमि से आच्छादित नहीं करने वाले अंचल अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी (.) इसे गंभीरता से लें तथा प्राथमिकता दें (.)

निर्देश :-

तुरत ।

ह0/

समाहर्त्ता,

मधेपुरा।

ज्ञापांक ......590-2........./ रा0, दिनांक ....19-10-2013........./

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सदृश कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सदृश कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 19/10/13

समाहर्त्ता,

मधेपुरा।